


6-624

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजिस्ट्रार एडी से प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण के सम्मन प्राप्त हुए। विपक्षीगण को कितनी मर्तवा कलक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का वा-पत्र स्वीकार खिवाजांकु निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली के सख शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मीलवाड़ा

